द्वादश माला, खंड 5, अंक 33

गुरुवार, 30 जुलाई, 1998
8 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	21	उत्तर प्रशेद	उत्तर प्रदेश
1	नीचे से 7	गृंथालय ने	गृंथालय में
5	नीचे से 10	जाते	जाने
7	14	राज्यपाल को यह सोच रही है ।	राज्यपाल को ये शक्तियां दे रहे है ? क्या केन्द्र सरकार यह सोच रही है ?
9	नीचे से 4	स्टष्टवादी	स्पष्टवादी
11	18 और 26	सभा पटल पर	सभा में
16	11	व्यक्तित	व्यक्तिगत
18	24	बघली	बहाली
19	4	अलीप	अपील
21	7-8	व्यक्व्य देना चाहिए	वक्तव्य देना चाहिए
26	2	4 बजकर 63 मिनट	4 बजकर 3 मिनट

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 33, गुरुवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920 (शक)

विषय		कालम
सभा पटल पर रखे गए पत्र		1
ऊर्जा संबंधी स्थायी सीमिति		
	पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन	1-2
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक		2
गोवा में प्रतापसिंह राणे सरकार की बर्खास्तगी तथा विल्फ्रेड डिसूजा सरकार की नियुक्ति के बारे में		3-20
नियम 377 के अधीन मामले		26-33
(एक)	मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चम्बल नदी पर उसेद घाट पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री अशोक अर्गल	26-27
(दो)	सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड शीघ्र आवंटित करने के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता श्री सत्य पाल जैन	27-28
(तीन)	सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाए जाने की आवश्यकता श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	28
(चार)	खरपतवार से प्रभावित फसलों के सर्वेक्षण के लिए उत्तर प्रशेद के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक दल भेजे जाने की आवश्यकता श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	28-29
(पांच)	सन् 2000 तक पूरे देश में सभी को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी	29
(छह)	विदर्भ को तत्काल राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	29-30
(सात)	कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान में सवाई माधोपुर के सीमेंट कारखाने का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता श्रीमती उषा मीणा	30
(आठ)	कलकत्ता शहर का प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखे जाने की आवश्यकता श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	30-31
(नौ)	उत्तर प्रदेश में हसनगंज और पुरवा में रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्रीमती रीना चौधरी	31-32
(दस)	केरल में कोल्लम जिले में दूरदर्शन का कम शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन	32

विषय		कालम
(ग्यारह)	होगनेक्कल पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री के॰पी॰ मोहन	32
(बारह)	भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद सीधे पटसन उत्पादकों, विशेषकर उत्तरी बंगाल के पटसन उत्पादकों से किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता श्री अमर राय प्रधान	33
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
कोचीन में इंडियन एयरलाइन्स के डोर्नियर विमान की दुर्घटना श्री अनंत कुमार		34-35

लोक सभा

गुरुवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजलूशन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्य करण की समीक्षा के बारे में विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इनटरनेशनल सेन्टर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़लूशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़लूशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय ने रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰-1439/98]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

श्री के॰ करूणाकरन (तिरुअनन्तपुरम) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(दो) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(तीन) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(चार) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(पांच) "ग्रामीण विद्युतीकरण—समस्यायें, वास्तविकताएं और उपलब्धियां" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 30.7.98 में प्रकाशित।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

गोवा में प्रतापसिंह राणे सरकार की बर्खास्तगी तथा विल्फ्रेड डिसूजा सरकार की नियुक्ति के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, गोआ में लोकतंत्र की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अपनी पार्टी को संभालो।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : आपने लोकतंत्र की हत्या की है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अभी और टूटेगी।...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : ये कह रहे हैं कि मरे हैं, वे कौन मरे हैं? हम जानना चाहेंगे कि कौन मरे हैं? ये गोवा में मरने की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल गोवा में और कुछ नहीं केन्द्र सरकार की सक्रिय सांठ-गांठ से संविधान का बलात्कार हुआ है। मैं इस सरकार पर राणे सरकार को बर्खास्तगी में गोवा के राज्यपाल के साथ सांठ-गांठ तथा डीसूजा सरकार को लाने का आरोप लगाता हूं।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह दल जो कि चिल्ला रहे थे कि अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग हुआ है और किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सभा में अपना विश्वास न खो दें उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें उन्होंने संवैधानिक उपबंधों के प्रति असम्मान प्रदर्शित किया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह सामने क्या टैस्टिंग हो रही है, इसे बंद करवाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह क्या है जिसे सभा में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह सभा में इन सब की जांच करने का समय नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : इस सरकार ने गोवा के राज्यपाल के साथ मिलकर जिस प्रकार से कार्य किया है उससे देश को और विश्व के समक्ष स्पष्ट रूप से यह धारणा उभर कर आती है कि यह सरकार संवैधानिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं रखती।

संवैधानिक पद्धति और संविधान के प्रावधानों को तिलांजलि दे दी...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : राज्यपाल को नियुक्त किसने किया था?...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : इस मामले को श्री सोमप्पा आर॰ बोम्मई और कई अन्य मामलों के साथ लेकर देखिए जिनमें स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया था और परम्परा और परिपाटी निर्धारित की गई थी कि बहुमत का परीक्षण अनिवार्य रूप से सभापटल पर ही होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : हम इस सभा में राज्यपाल के आचरण की चर्चा नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : दुर्भाग्यवश संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत राज्यपाल ने जो कार्यवाही की थी वह...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : श्री सत्यपाल जैन, हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है. .*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : बहुत हो गया...*(व्यवधान)* आप निर्णय करने वाले नहीं है। आपको निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान, मैंने श्री पी॰ शिव शंकर को बोलने की अनुमति दी है। आप इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पी॰ शिव शंकर के बोलने के पश्चात् आप कुछ बोल सकते हैं। कृपया प्रक्रिया को समझिए। मैंने श्री पी॰ शिवशंकर को अनुमति प्रदान की है। आप किस प्रकार बीच में बोल सकते हैं? यह प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चेतन चौहान : हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों को भी हमसे अपेक्षाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आज मेरे पास शून्य काल के लिए 63 सूचनाएं हैं। मैं आज सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राज्यपाल के आचरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं राज्यपाल की कार्यवाही की चर्चा कर रहा हूं। राज्यपाल के व्यक्तिगत आचरण पर आघात किये बिना मैं हमेशा उनके कार्यों में त्रुटि निकाल सकता हूं। मुझे संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार है और मैं उस अधिकार का उपयोग कर रहा हूं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राज्यपाल ने जिस ढंग से विल्फ्रेड डिसूजा को सरकार में सत्तारूढ़ किया है उससे दिखाई देता है कि अनुच्छेद 164 को तोड़ा मरोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जहां राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है वहीं वह स्वतः स्वविवेक से ऐसी नियुक्ति नहीं कर सकता। उसे हमेशा विधायी दल के बहुमत को ध्यान में रखकर चलाना अनिवार्य होता है। दुर्भाग्य से इस मामले में जो कुछ उन्होंने किया उससे एकदम गलत परम्परा स्थापित हो रही है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्य मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया है ऐसा करके उन्होंने इस देश के संविधान की पूर्णतया अनदेखी की। मैं संक्षेप में तथ्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

24 जुलाई को 5 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। इस मामले को अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लाया गया कि 5 विधायकों का बहिष्कृत कर दिया गया है। यह मामला 25 तारीख को ही उनकी जानकारी में लाया गया था तत्पश्चात् उसी दिन, 2 यू जी पी सदस्य और 2 निर्दलीय सदस्य भी उसमें शामिल हो गए। यदि 23 सदस्यों में से 5 विधायक चले जाते हैं जो कि वहीं थे तो 39 सदस्यों वाले सदन में शेष 18 सदस्य रह जाते हैं। 5 विधायकों के चले जाते से 2 निर्दलीय और 1 यू जी पी सदस्यों के शामिल हो जाने से उनकी सदस्य संख्या 22 विधायकों की हो गई। यह स्थिति वहां थी। मैं अन्य ब्यौरों पर और चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपकी जानकारी में जो बात लाना चाहता हूं कि एक तारीख को यह सब घटित हो चुका था वह 28 तारीख को राज्यपाल ने अध्यक्ष महोदय और मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय को लिखा गया पत्र इस प्रकार था। यह पत्र 2.30 बजे अध्यक्ष महोदय को भेजा गया। जिसमें कहा गया है :

> "28 जुलाई, 1998 को कोई अन्य कार्य करने से पहले यह सभा नीचे दिए गए क्रम के अनुसार निम्नलिखित मामलों पर विचार करे और उन्हें निपटाए:—
>
> (1) श्री प्रतापसिंह राणे के नेतृत्व में बने मंत्रिपरिषद में विश्वास मत का प्रस्ताव,
>
> (2) संकल्पों के सभी प्रक्रमों अथवा संकल्पों हेतु दी गई सूचनाओं जिन पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है;
>
> (3) शेष सभी बजटीय मांगों को पारित करना और
>
> (4) वार्षिक विनियोग विधेयक और अनुपूरक विनियोग विधेयक को भी पारित करना

यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था इसके साथ-साथ उसी दिन उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री श्री राणे को भेजा, मुख्य मंत्री जी को यह पत्र 2.00 बजे प्राप्त हुआ। राज्यपाल जी कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी को 3.30 बजे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। उन्हें केवल 1 1/2 घंटे का समय दिया गया था। अध्यक्ष महोदय को यह पत्र भेजते हुए उन्होंने कहा था कि कोई कार्य करने से पहले इसे किया जाना चाहिए। 3.30 बजे विधान सभा की बैठक होनी थी। इस प्रकार मुख्य मंत्री जी को मुश्किल से 1 1/2 घंटे का समय दिया गया और उन्होंने सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। उस दिन यही सब घटित हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ शिव शंकर : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए कृपया हमें समय दीजिए अपनी मूल बात पर आते हुए इस प्रकार यह समूचा कार्य पूरा किया गया। दो दिन की कार्यसूची का समूचा कार्य निपटा दिया गया। तत्पश्चात् कल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का निर्णय लिया उन्होंने अकारण ही किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य मंत्री के पद पर आसीन कर दिया यह भी नहीं देखा कि उस व्यक्ति के पास बहुमत है या नहीं और उन्होंने उसे 21 दिन का समय दे दिया।

इस समय मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सदन को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह के मामले में, जब श्री भंडारी ने तीन दिन का समय दिया था पूरे सदन और विशेषकर श्री खुराना सहित विपक्ष ने इसमें त्रुटि निकाली कि मुख्य मंत्री को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है. ..*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अब श्री भंडारी का अनुसरण कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : इस मामले में श्री राणे का मुश्किल से 1 1/2 घंटे का समय दिया गया और श्री डिसूजा को राज्यपाल ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 21 दिन का समय दिया। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक हैं इससे पता चलता है कि राज्यपाल ने किस प्रकार कार्य किया है।

[श्री पी॰ शिव शंकर]

यह कह लेने के पश्चात् मैं आपकी जानकारी में एक अत्यन्त विलक्षण स्थिति लाना चाहता हूं जिसमें केन्द्र सरकार सक्रियता से सांठ-गांठ कर रही है केन्द्र का पक्ष, उनके प्रवक्ता के अनुसार यह है मैं हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे हुए समाचार में पढ़ रहा हूं :—

> "केन्द्र ने स्वयं को यह कहते हुए राज्यपाल के कार्य से अलग कर लिया कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत स्वविवेक से कार्य किया है।"

संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल सदन की बैठक बुला सकता है और इसकी बैठक स्थगित कर सकता है और सदन को भंग कर सकता है। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत सदन को स्थगित और भंग करने की सीमा तक जा सकता है? क्या हम राज्यपाल को यह सोच रही है।...(*व्यवधान*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : गुजरात के मामले में, हमने अपना बहुमत राष्ट्रपति भवन में सिद्ध किया था वहां 94 विधायक उपस्थित हुए थे। इसके बावजूद तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : गुजरात में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्कालीन राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था जबकि सरकार के पास बहुमत था। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।...(*व्यवधान*)

श्री खारवेल स्वाईं : वहां वही बात कह रहे हैं। आपको पहले इसका जवाब देना चाहिए और उसके बाद ही आपको कुछ और कहना चाहिए...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मैं आपकी जानकारी में मैं यह बात लाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है यदि स्थिति यह है जिसे केन्द्र सरकार संविधान की प्रक्रिया के अनुरूप समझती है तो इस सभा को भी केबिनेट के निर्णय के बिना स्थागित अथवा भंग किया जा सकता है। यह स्थिति अत्यन्त अनुचित है। इससे संवैधानिक अराजकता उत्पन्न होगी। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार अपने कार्यों द्वारा राज्यपाल को समर्थन देने का प्रयास कर रही है और अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है। स्वयं को इस मामले से अलग करना यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार की राज्यपाल के कार्यों के साथ सक्रिय मिलीभगत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर, कृपया समाप्त कीजिए। आपने पहले ही 20 मिनट ले लिए है।...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : केबीनेट के निर्णय पर ही सदन की बैठक बुलाई जाती है, स्थगित की जाती है अथवा सदन भंग किया जाता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से ऐसा भी कर सकता है...(*व्यवधान*)

श्री खारवेल स्वाईं : कांग्रेस के दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं ..(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : इस पर और आगे चर्चा करे बिना, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राज्यपाल ने धृष्टतापूर्ण गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्य किया है। राज्यपाल की कार्यवाही संदिग्ध है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को तुरन्त वक्तव्य देना चाहिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाया चाहिए क्योंकि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त होता है।

दूसरा मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को तरीका खोजना होगा कि संवैधानिक प्रक्रिया को किस प्रकार बहाल किया जाए। इसका उन्हें निर्णय करना होगा। उन्हें तरीका ढूंढना होगा कि डी-सूजा सरकार को किस प्रकार हटाया जाए जो गोवा में बलपूर्वक स्थापित की गई है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्कालीन राज्यपाल ने सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया था।...(*व्यवधान*) और रा॰ज॰पा॰ की सरकार बनाई थी।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : उन्हें राणे सरकार को फिर से बहाल करना चाहिए। केवल यही एक रास्ता बचा है। उन्हें रास्ता ढूंढना होगा अन्यथा यह सरकार पूर्णतः अक्षम है और वे असंवैधानिकता की स्थिति में राज्यपाल की अनदेखी कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

श्री खारवेल स्वाईं : राजीव कांग्रेस ने सोनिया कांग्रेस को हरा दिया है...(*व्यवधान*)

श्री पूर्णो ए॰ संगमा (तुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय मैं अत्यधिक पीड़ा और दुख के सभा साथ में बोल रहा हूं। श्री जैन ने कहा, 'आप अपनी पार्टी पर ध्यान क्यों नहीं देते?' शायद वे बिलकुल सही हों। परन्तु आज यह प्रश्न पार्टी लाइन से ऊपर उठ चुका है। आज यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि, 'हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करें?' आज का प्रश्न है, 'हम अपने देश की रक्षा कैसे करें?'

कल गोवा में जो कुछ हुआ है ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य में आ चुकी है। मैं उन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं उस समय मैं इस प्रतिष्ठित सभा का अध्यक्ष था और उस समय भाजपा नेता श्री जसवंत सिंह ने नियम 184 के अधीन राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए विधिवत् प्रस्ताव की सूचना दी थी भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है। श्री जसवंत सिंह ने अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद वह सूचना दी थी। भारत के संविधान द्वारा सृजित हमारी संस्थाओं पर आजकल कलंक लग रहा है। मैं इस विषय पर तभी चर्चा करूंगा जब इस संबंध में वास्तविक वाद-विवाद होगा।

मैं सभा से केवल इस मुद्दे पर अत्यधिक गम्भीरता से विचार करने की अपील करता हूं क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य को प्रभवित करेगा और लोकतंत्र के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। उस समय सभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने विवेक से काम लिया और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रजातंत्र के संरक्षण के हित में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की कार्रवाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसीलिए मैंने उस समय नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। इस पर चर्चा नहीं हो पायी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में परिस्थिति बदल गयी थी और सभा में नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ था। मैं इस स्थिति से प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि मैं वास्तव में सभा में गम्भीर वाद-विवाद कराना चाहता था। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने इस मामले को शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मलेन में उठाया था। उस सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति पर एक विशेष संकल्प, राज्यपाल की भूमिका पर एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया।

महोदय मेरे विचार से यह एक ऐसा विषय है जिसे हमें एक राष्ट्र के रूप में गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। मैं आपसे इस मुद्दे को सामान्य रूप से नहीं लेने की अपील करता हूं। हमें साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमारी संस्थाएं खतरे में है। हमारा देश खतरे में है। हमारा लोकतन्त्र खतरे में है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन स्वीकार करें और हमें इस विषय पर गम्भीर वाद-विवाद करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ...(*व्यवधान*) कम से कम हमें प्रश्न काल का भी समय दीजिए। आपने सभा का समय बढ़ाया है जोकि यह दर्शाता है कि सरकार कितनी सुव्यवस्थित है।

व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि भाजपा ने कई बातों का उपदेश दिया परन्तु किसी का भी पालन नहीं किया। जैसाकि श्री संगमा ने हमें याद दिलाया उस निन्दात्मक दोषारोपण के बारे में, यदि मैं उस शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थों में न करूं तो, जोकि तत्कालीन विपक्षी दल, भाजपा के अत्यत स्टष्टवादी उप नेता और भाजपा के अन्य सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध किया गया था। राज्यपाल की उक्त कार्यवाही को मैंने भी गलत बताया था। ऐसा ही एक और कदम उठाया गया। और अब यह कहा जा रहा है। 'आपने ऐसा किया था इसीलिए हमने भी ऐसा किया है'। इसीलिए उन्हें कहना चाहिए कि कांग्रेस ही उनका आदर्श है और उन्होंने जो अवैध और असंवैधानिक कार्य किए, आप उनका बड़ी ईमानदारी से अनुकरण कर रहे हैं। यह कहिए कि आप इस बात को मानते हैं, हमें समझने दीजिए। यह उनका कथन है।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ गोवा में हुआ जिस ढंग से हुआ, उसके प्रति मैं अपनी कड़ी आपत्ति और विरोध दर्शाता हूं। राज्यपाल ने स्वयं विधान सभा के अधिकारों को हथियाने की अनाधिकार चेष्टा की है। मैं विशेषज्ञ बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यपाल जनता द्वारा नहीं चुना जाता है अपितु विधान सभा लोगों द्वारा चुनी जाती है। विधान भवन में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं वे राज भवन में बैठकर कार्य नहीं करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश संविधान के अधिकतम दुरूपयोग करके राजभवनों ने विधान भवनों से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। स्पष्टतः यही सब हो रहा है। किस प्रकार की संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जा रहा है? एक मुख्य मंत्री को विश्वास मत के प्रस्ताव को पेश करने के लिए आधे घण्टे का समय दिया जाता है। हमें समाचार पत्र से यही जानकारी मिली है। तत्पश्चात उनसे सभा में तत्काल वित्तीय कार्य को पारित करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि वित्तीय कार्य को आबंटित समय में पारित नहीं किया जाता तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसीलिए वे सभा को वित्त विधेयकों को पारित करने के लिए बाध्य करते हैं और सरकार को तत्काल बरखास्त कर देता है। मैं समझता हूं राज्यपाल की इससे अधिक निष्ठुर और फासिस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है जिसे मैं अभी उद्धृत करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं मेरे विद्वान मित्र मेरे द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करने का गलत अर्थ नहीं निकालेंगे। वे बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मत प्रकट किया गया कि राज्यपाल का समय न देना औचित्यपूर्ण था क्योंकि इससे खरीद-फरोख्त हो सकता था। मैं बोम्मई मामले के 1994 के पृष्ठ 127 से तीन उच्चतम न्यायालय के मामले अनुच्छेद 118 की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जस्टिस सावंत :

> "इस बात का पता नहीं चल पाया है कि राज्यपाल को यह सूचना कैसे मिली के विधायकों के बीच खरीद-फरोख्त चल रही है। यदि ऐसा भी मान लिया जाय तो उन्हें सही और समुचित प्रक्रिया यह अपनानी थी कि वह सभा में परीक्षण की प्रतीक्षा करते जो परीक्षण मुख्य मंत्री अपनी इच्छा से कराने की सहमति व्यक्त कर चुके थे।

वे न केवल ऐसा करने के इच्छुक थे अपितु उन्होंने संबोधित प्रक्रिया को पूरा किया था। राज्यपाल की लिखित मांग के अनुसार वे सभा में आए थे और विश्वास मत प्राप्त किया था।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

तत्पश्चात् यह कहा गया है : "राज्यपाल द्वारा चुने गए किसी भी दिन किसी भी समय में" और उन्होंने ऐसा कर दिखाया।

अब मैं पुनः एस॰आर॰ बोम्मई मामले को उद्धृत करता हूं :

> "ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की जल्दी में थे।"

निसन्देह वह हिस्सा कई कारणों से सामने नहीं आया।

अब मैं वह उद्धृत करूंगा जो एक अन्य विद्वान न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी, जोकि बहुमत में थे, ने कहा :

> "हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने यह माना था कि सभा में शक्ति परीक्षण बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई केवल परिस्थिति में अन्तर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों और इस तथ्य को ध्यान में रखे कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व केवल विधान सभा करती है न कि राज्यपाल तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है।"

तत्पश्चात् वे आगे कहते हैं जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "सभा का विश्वास खोना एक वस्तुपरक तथ्य था जिसे सभा पटल पर किसी प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता था। हमारा मानना है जब कभी भी कोई शंका उत्पन्न होती है कि मंत्रिपरिषद ने सभा का विश्वास खो दिया है तो केवल (उच्चतम न्यायालय में इस पर जोर देते हुए इसे रेखांकित किया) इसका परीक्षण केवल, सभा में किया जा सकता है, ऐसी असाधारण परिस्थिति के सिवा जहां राज्यपाल व्यापक हिंसा के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है... (कि इसे किसी अन्य प्रकार से किया जाना चाहिए), सभा पटल पर ही किया जा सकता है।"

ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह एक असाधारण परिस्थिति है जिसमें एक मंत्रिमण्डल को विश्वास मत प्राप्त करने के पश्चात् बर्खास्त कर दिया गया है। मैं श्री राने या किसी और का पक्ष नहीं ले रहा हूं परन्तु श्री संगमा ने जो प्रश्न उठाया है वह सिद्धान्त का प्रश्न है। यह केवल वर्ष 1998 या बारहवीं लोक सभा का प्रश्न नहीं है अपितु हमेशा उठने वाला प्रश्न है।

हम बड़ी प्रसन्नता से स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में विश्व को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमनें संसदीय लोकतंत्र के सिद्धान्तों को जारी रखने का एक औपचारिक दृढ़ संकल्प पारित किया है। हमने सभा की मर्यादा को बनाए रखने के प्रति दृढ़ संकल्प और विश्वास व्यक्त किया है।

यह सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। विधान सभा राज्य या उस राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद या विधान सभा की उपेक्षा कर यह उस जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है जिसने अपनी राय व्यक्त की है। यदि ये नियुक्त व्यक्ति, ये चयनित व्यक्ति इस देश की जनता की शक्ति पर अनधिकार कब्जा करने की चेष्टा करेंगें तो हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।

मुझे खेद है किन्तु मैंने कहा है कि मुझे इस पर हैरानी नहीं है। मैं उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकता हूं। मेरा तात्पर्य अच्छे संवैधानिक व्यवहार से है न कि व्यक्तिगत व्यवहार से। जब वैयक्तिक व्यवहार की बात आती है तो उनका व्यवहार सर्वोत्तम रहा है वहां मेरे सबसे अधिक मित्र हैं। किन्तु मैं उनसे अच्छे संवैधानिक व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकता हूं क्योंकि जिस प्रकार राज्य पालों की नियुक्ति की गई, क्योंकि राजभवन में उनकी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को बैठने की अनुमति दी गई जिनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी है। हम जानते हैं यह हो रहा था और राजभवन एक ऐसी सरकार के षडयंत्रों का अतिरिक्त गढ़ बन रहे हैं जिसे जनादेश प्राप्त नहीं है, विचित्र सम्मिश्रण है। यह पैकेजों की सरकार है। मैंने कहा है कि प्रधान मंत्री बंधे हुए हैं और वे अब देश को चला रहे हैं।

हम संविधान के दुरूपयोग का कड़ा विरोध करते हैं। मुझे यह कहते खेद है कि यह उन घटनाओं की एक अतिरिक्त सूची है जिसमें राज्यपाल के पद के माध्यम से संविधान का बलात्कार किया गया है तथा हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं पिछले करीब नौ साल से इस सदन का सदस्य हूं। प्रजातंत्र में हम सब का विश्वास है। प्रजातंत्र की बुनियाद हमारा संविधान है। संविधान का अमलीकरण अनेक परम्पराओं के माध्यम से किया जाता है। मैंने पिछले पांच सालों में कई बार इस सदन में देखा है कि जब संविधान का अमलीकरण कोई एक व्यक्ति, समूह और राजनीतिक दल करता है तो उसका मुआयना अलग ढंग से होता है। गोवा में जो कुछ हुआ, यहां उसके बार में जिक्र मेरे साथी पक्ष ने और मेरे बुजुर्ग साथी संगमा साहब से लेकर शिव शंकर जी, सोमनाथ दा ने किया।

जब गुजरात में यह घटना घटी, उस समय मैं इस सदन का सदस्य था। वह कृत्य संविधान पर वज्रपात था। गुजरात में उस समय श्री सुरेश मेहता की सरकार चल रही थी। जब उस सरकार को हटाया गया था, उस वक्त आप लोग नहीं बोले थे। श्री सुरेश मेहता साधारण बहुमत से, दो विधायक ज्यादा, यानी 94 विधायक लेकर दिल्ली आये थे। उन विधायकों की पत्रकारों के सामने खड़ा करके उनकी गिनती की गई थी। वही विधायक राष्ट्रपति भवन गये जहां उनकी गिनती की गई। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी सरकार, जिसे गुजरात की साढ़े चार करोड़ जनता का समर्थन प्राप्त था, को एक कलम के गोदे से हटा दिया। हम यहां सदन में चिल्लाते रहे। उस समय आप में से किसी माननीय सदस्य ने विरोध नहीं किया, न ही आपके साथी पक्ष और न ही सोमनाथ बाबू ने खड़े होकर इस असंवैधानिक कृत्य का विरोध किया। आपके सभी साथी इस पक्ष में

खड़े हो गये कि गुजरात में जो कुछ हुआ है, वह गुजरात के राज्यपाल ने अपने अधिकार के अन्तर्गत किया है...(*व्यवधान*) आप जो परम्परा डालेंगे, उसी परम्परा से सदन चलेगा, उसी परम्परा से देश चलेगा। हम दावा करते हैं कि हम देश के नुमाइंदे हैं।...(*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी, 1998 की बात है। अगले दिन 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश और देश में लोक सभा के चुनाव चल रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी द्वारा रातों-रात श्री जगदम्बिका पाल को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सोमनाथ बाबू, उस समय आप कहां थे, क्या उस समय संविधान का हनन नहीं हुआ था? तब कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, युनाइटेड फ्रंट ने समर्थन किया और आपके साथी पक्षों ने भी समर्थन किया। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब अपने नीचे बात आती है तो संविधानिक बन जाती है और जब कोई संविधान के अनुरूप नहीं होता तो कुछ और हो जाता है...(*व्यवधान*) श्री मदन लाल खुराना, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर अपनी बात कहेंगे मगर मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार गोवा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई चल रही है जिसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने राज्यपाल से मिलकर कह दिया कि वे सोनिया गांधी के साथ नहीं बल्कि उनके पति स्व॰ राजीव गांधी की बनाई हुई कांग्रेस के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अस्त-व्यस्त हो जाती है या अस्थिर हो जाती है तब राज्यपाल का यह कर्त्तव्य बनता है कि जिसके पास बहुमत हो या बहुमत होने की संभावना हो, उसे शासन की बागडोर सौंपे। गोआ में जो कुछ हुआ, उसके अनुरूप हुआ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वह असंवैधानिक था। उसके लिये आपको पछताना चाहिये। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, अभी श्री संगमा जी ने जो बात रखी, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं कि देश में दल-बदल की घटनायें हो रही हैं और सरकारों को किस तरह हटाया गया। मैं यह बात गोआ के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं। गोआ के बारे में बाद में कहूंगा। अध्यक्ष जी, यह चिन्ता का विषय है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं संगमा जी से इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से सारी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से कुछ दलबदलू इकट्ठे होकर सरकार को पलटते हैं और यह सब हो रहा है, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है, यह बात ठीक है। अगर अपोजीशन चाहे तो हम सब मिलकर, बैठकर इस समस्या का हल कैसे करें, हम उसके लिए तैयार हैं।...(*व्यवधान*) आपने कह दिया है, मुझे भी अपनी बात कहने दें।

जहां तक गोवा का सवाल है उस पर भी मैं कहूंगा। माननीय सोमनाथ दादा अच्छे ऐडवोकेट हैं, योग्य हैं, अपने केस को अच्छी तरह से प्लीड करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सोमनाथ दादा को ये केस उस समय भी पेश करना चाहिए था जब यू॰पी॰ का मामला हुआ था।. ..(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम लोगों ने अपोज किया था।

[अनुवाद]

हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने कहा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में...(*व्यवधान*) आपको बोलने का अधिकार नहीं हैं क्योंकि आप उस कैबिनेट में थे।...(*व्यवधान*) मैं कहना चाहता हूं कि यह इस देश में पहली बार हुआ है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही नहीं है, यह गलत है। मै। यह जानता हूं जो वे श्री साहिब सिंह वर्मा के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं वे उसमें हमें घसीटने का प्रयास कर रहे हैं ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपको सुनता रहा था। मेरा कहना है कि यह इस देश में पहली बार हुआ है कि कैबिनेट ने एक सरकार को धारा 356 के अंतर्गत डिसमिस किया। हमको न्याय कहां से मिला? राष्ट्रपति से मिला। उन्होंने आदेश को वापस लिया। हमको न्याय कहां से मिला? एक दिन बाद लोक सभा के चुनाव हुए और आप सब लोगों ने मिलकर कल्याण सिंह सरकार को डिसमिस कर दिया। हमको न्याय कहां से मिला? कोर्ट से मिला। आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर बीजेपी को किसी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यह साजिश की थी। उस समय डेमोक्रेसी के बारे में आप क्यों नहीं बोले? ..(*व्यवधान*) आप हमको कांस्टीट्यूशनल बिहेवियर की बात कहते हैं। मैं तब मानता जब आप कहते कि मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा अगर धारा 356 नहीं हटाई गई। जबानी भाषण दे दिया, ऐक्शन में कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है कि यह समस्या गंभीर नहीं है जैसे शुरू में मैंने कहा। मैं संगमा जी की इस बात से सहमत हूं कि इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के भविष्य के लिए ऐसी घटनाएं न हों, उसके बारे में हमको कोई कानून में फेरबदल करना चाहिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो फिर आप गोवा के राज्यपाल की कार्यवाही का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको यह कहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं उस पर भी आ रहा हूं। अगर आपने केवल उतनी बात कही होती तो मैं वह बात कहता, लेकिन आपने जो हमको सरमन दिये, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको कुछ अच्छे उपदेशों की आवश्यकता है न कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उपेदशों की।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप अच्छे ऐडवोकेट तो हैं, आप किसी मर्डरर को छुड़ाने के लिए भी अच्छी ऐडवोकेसी कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मर्डर जब हुआ तो आप चुप रहे और इसलिए आप अच्छे एडवोकेट नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ही एकमात्र पार्टी है जो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रयोग का निरन्तर विरोध करती रही है। हम सदैव इसके खिलाफ रहे हैं। इसका विरोध करने में हमारी पार्टी से बेहतर भूमिका किसी पार्टी ने नहीं निभाई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप सभी खड़े क्यो हो गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक यहां का मामला है, मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता। यह मैं मानता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : क्या आप राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं? आप हमें उस बारे में बताएं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आपको राज्यपाल की भूमिका के बारे में कहने का हक नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप बैठिये, आप मेरी बात सुन लीजिए...*(व्यवधान)* मैं उसी पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* आपने यू॰पी॰ में भी कॉल किया था, आपने गुजरात में भी कॉल किया था।...*(व्यवधान)* मैं इस समय...*(व्यवधान)* जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा था। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। यह आपका अपना झगड़ा था। 26 में से 10 सदस्य आपको छोड़कर चले गये थे, एक-तिहाई से भी ज्यादा लोग आपको छोड़कर चले गये थे। हाउस में आपकी मेज्योरिटी नहीं रही। अब उसके बाद गवर्नर ने कैसे एक्शन लिया, क्या किया, गोवा का निर्णय वहां के माननीय राज्यपाल महोदय का व्यक्तित निर्णय है। संविधान की धारा 174 के तहत उन्होंने यह निर्णय दिया। इसमें केन्द्र सरकार का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : एक राज्यपाल व्यक्तिगत विशेष रूप में कैसे कार्य कर सकता है।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए वी एस एम (गढ़वाल) : महोदय वे भाषण दिए जा रहे हैं। वे हर समय व्यवधान पैदा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* उन्होंने हमें उपदेश दिया कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। किन्तु अब वे स्पष्ट कैसा व्यवहार कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर (कालिता) : राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपना निर्णय नहीं दे सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बैठाइये...*(व्यवधान)* मुझे कंक्लूड करने दीजिए। धारा 174 के तहत गवर्नर ने यह फ़ैसला किया है, उससे केन्द्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। राज्यपाल की यह जानकारी गृह मंत्रालय को पहुंच चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। आपने जो आरोप लगाया है, उस पर मैंने कहा कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। धारा 356 के बारे में हमने कहा है कि उसे हम किसी राज्य के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका दुरूपयोग नहीं करेंगे। यह हमने पहले ही कहा है और आपने देखा होगा कि इतने महीने हो गये, हमारे ऊपर कितना प्रैशर पड़ा, अगर हम कुछ राज्यों के विरुद्ध धारा 356 का इस्तेमाल करें तो वहां की जनता खुश हो जायेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने धारा 356 का प्रयोग नहीं किया। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम संविधान की पूरी तरह रक्षा करना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया स्थिति को समझिए।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, वे गोवा के सदस्य हैं। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ) : महोदय जब माननीय मंत्री श्री खुराना ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सरकार को बहाल किया तो मैं उनकी बात चुपचाप सुन रहा था...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : किन्तु इस सभा की परिपाटी है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद वही मुद्दा जारी नही रहता है. ..*(व्यवधान)* वही मुद्दा कैसे जारी रह सकता है? आप लम्बे समय तक उसी मुद्दे को जारी नहीं रख सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राम नाईक बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैने श्री राम नाईक का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि वे गोवा से हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने श्री राम नाईक का नाम पुकारा है। उसके बाद वे बोल सकते हैं। मंत्रीजी को अपने विचार व्यक्त करने दो।

श्री राम नाईक : महोदय, कांग्रेस पार्टी के उपनेता ने अपने विचार व्यक्त किए हैं...*(व्यवधान)* लोक सभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। भाकपा (मा॰) के नेता ने भी अपने विचार व्यक्त किए है। उसके बाद आपने संसदीय कार्य मंत्री को उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बुलाया। इसलिए उनके द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए।

अन्य माननीय सदस्य अनेक अन्य मुद्दों को उठाना चाहते है। उन्हें उन मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

(व्यवधान)

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : महोदय, मैं संसदीय कार्यमंत्री श्री खुराना की बात को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। जैसा कि उन्होंने सही कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सरकार बहाल की थी। अब गोवा में भी ऐसी ही स्थिति हैं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को डेढ़ घंटे के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहा है...*(व्यवधान)* मेरे पास सूचना की एक प्रति है जिसमें कहा गया है कि एक दिन के भीतर उन्हें सभी कार्य संपन्न करना होगा...*(व्यवधान)* वित्त विधेयक पारित कर दिया गया है। सभा में बहुमत का प्रदर्शन कर दिया गया। उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया।

आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष ने सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की चाहे वह गलत थी या सही, इसके लिए वे उच्च न्यायालय में गए। उस याचिका पर आज प्रातः 10.30 बजे सुनवाई होती है। मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का राज्यपाल का औचित्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपने स्थान पर बैठिए।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : आपको तत्काल राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए...*(व्यवधान)* तथा सरकार की बघली करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.53 बजे

(इस समय श्री फ्रांसिस्को सारदीना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संपूर्ण मुद्दे को उठाने के बाद यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर जाने की अलीप कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामला उठाने के बाद इस तरह की बात करना कोई सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को रख चुके हैं। अब आप इस सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने-अपने स्थानों पर बैठने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी लिए जाने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों की अन्य मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही मामला उठा चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि आप अन्य सदस्यों को उनके मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को मुद्दे नहीं उठाने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.56 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न एक बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दें, मैं स्वय टिप्पणी करना चाहता हूं।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ) : पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : कल जब श्री येरननायडू अध्यक्षपीठ पर आसीन थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरा नाम सबसे ऊपर रखेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिए।

मुझे माननीय अजीत जोगी और माननीय पी॰जे॰ कुरियन से प्रक्रिया के नियमों के नियम 184 के अंतर्गत एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इस मामले की जांच मामले के तथ्यों का संदर्भ देकर कर रहा हूं जिसके लिए मैं गृह मंत्रालय से एक सरकारी रिपोर्ट की मांग कर रहा हूं। मैं इस मामले पर निर्णय लेकर सभा में प्रस्तुत करूंगा।

मैं माननीय सदस्यों को भी यह सूचित करना चाहूंगा कि आज दोपहर में सभा के कार्यों पर चर्चा करने के लिए मैंने कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाई है। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को बैठक में मामला उठाने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि शांति बनाए रखें और कार्यसूची में उल्लेख किए गए अनुसार सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से

चलने दें।

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : तथ्यों का पहले ही पता है। सरकार और कितने तथ्य चाहती है?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार कुछ कहना चाहती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : गृह मंत्री को व्यक्व्य देना चाहिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देना चाहेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मैं सदन को एक दुखद सूचना देना चाहता हूं।. ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं सदन को एक दुःखद सूचना देना चाहता हूं। एक छोटा डोर्नियर प्लेन आई॰सी॰ 583 जिसमें तीन पैसेंजर और तीन क्रू थे, वह कोचीन से त्रिवेन्द्रम जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्योंकि यह दुर्घटना 11.00 बजे के बाद हुई, अतः सिविल एविएशन मिनिस्टर पूरे तथ्यों को लेकर आज सायं तक सदन में अपना स्टेटमैंट देंगे।...(*व्यवधान*)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : असम में बम ब्लास्ट में 12 आदमी मारे गए हैं, उस पर स्टेटमैंट दीजिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आपका क्या कहना है।

श्री ए॰सी॰ जोस :(मुकुंदपुरम) : अध्यक्ष महोदय, हम डोर्नियर वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने संबंधित अधिक जानकारी जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नागर विमानन मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या गृह मंत्री जी नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर नोटिस के संबंध में उत्तर देंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गोवा में होने वाली घटनाओं का संबंध है मैं समझता हूं कि जो कुछ आपने अभी कहा वह उससे संबंधित था। आपने कहा था कि आपको कोई नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में आप गृह मंत्रालय से आवश्यक सूचना प्राप्त करके कोई निर्णय लेंगे। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इसका फैसला करें कि यह मामला किस रूप में यहां प्रस्तुत किया जाए। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह निर्णय राज्य के राज्यपाल द्वारा अपने अधिकार और सांवैधनिक प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है।...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : क्या हम गुण-दोष के आधार पर बात कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं गुण-दोष के आधार पर नहीं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा जब आपने यह घोषणा की कि औपचारिक प्रस्ताव पर नोटिस दे दिया गया है और उसके आधार पर आप यह निर्णय लेंगे कि इसे शामिल किया जाए कि नहीं।... (*व्यवधान*)

श्री भुवनेश्वर कालिता : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या नियम 184 के अधीन नोटिस की स्वीकृति दी गई है या नहीं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था और अनुरोध किया था कि गोवा के गवर्नर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वापस बुला लिया जाना चाहिए। कृपया यह बताइये कि क्या आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।

श्री अजीत जागी : गृहमंत्री जी को सभी तथ्यों की जानकारी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने वह प्रस्ताव देखा तक नहीं है जिसके बारे में नोटिस दिया गया है। मैंने आपको सिर्फ यही घोषणा करते हुए सुना है कि आपको श्री अजीत जोगी और श्री शरद पवार से एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में आप गृह मंत्रालय से आवश्यक जानकारी लेंगे और फिर उस पर निर्णय लेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसे मानेगे क्योंकि इसका निर्णय आप ही करेंगे कि उस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं। मैं आपको इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी दूंगा।...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : सभी जानकारी उपलब्ध हैं। आप और अधिक क्या जानना चाहते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस संबंध में मेरा यह कहना है कि गोवा में जो कुछ हुआ है वह केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सूचना दी गई है। हम सभी आवश्यक जानकारी देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) : जो कुछ भी वहां हुआ था वह गृहमंत्रीजी के सामने था।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : हमारा एक सब्सेर्टेटिव मोशन है,... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थिति को समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, गोवा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है।...*(व्यवधान)* ऐसे गवर्नर को वापस बुलाया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। आप इस तरह सभा की कार्यवाही में रूकावट पैदा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि नियम 184 के अधीन प्रस्तुत किया गया वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.10 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए। जब तक हमारे पास तथ्य नहीं होंगे तब तक हम नियम 184 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बारे में कैसे निर्णय ले सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों की ओर से ऐसा किया जाना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यह उचित भी नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया मेरी बात सुनिए। तथ्यों को जाने बिना, हम नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को रखने का निर्णय कैसे ले सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ जानते हुए ऐसा करना अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस जाने की अपील कर रहा हूं। यह ठीक नहीं है। बिना किसी सूचना के हम नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय कैसे ले सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार फिर मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को अपने स्थानों पर वापस जाने का अनुरोध कर रहा हूं। बिना किसी जानकारी के हम नियम 184

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया समझिए। यहां अन्य सदस्य भी हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मुद्दे पर एक घंटे तक चर्चा की है। आप अध्यक्षपीठ की टिप्पणियों को नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, ये लोग खाली अखबार में छपवाने के लिए कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने स्थानों पर वापस चले जाएं। यह आप सबसे मेरा अनुरोध है। अपने विचारों को व्यक्त करने का यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार फिर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यह उपयुक्त तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 4 बजकर 63 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री वी॰ सत्यमूर्ति पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अपराह्न 4.03$^{1}/_{4}$ बजे

(इस समय, श्री फ्रांसिस्को सारदीना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही में बाधा डालना उपयुक्त नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आइए अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मामला पहले 'शून्य काल' में उठाया गया था।

(व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मंत्रीजी को वक्तव्य देने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज के नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहयोग दें।

(व्यवधान)

अपराह्न 4.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चम्बल नदी पर उसेद घाट पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मुरैना जिले के उसेद घाट पर चम्बल नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास पूर्व प्रधान

---

* सभा-पटल पर रखे गए।

[श्री अशोक अर्गल]

मंत्री स्व॰ राजीव गांधी की सरकार द्वारा किया गया। परन्तु उक्त पुल निर्माण के संबंध में आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

उसेद घाट पुल निर्माण से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद आगरा से यह जिला जुड़ जाएगा और जनता को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अविलम्ब मुरैना जिले के उसेद घाट पर चम्बल नदी पर पुल का निर्माण शुरू कराने के लिए संबंधित विभाग को आदेश पारित कराने का कष्ट करें, ताकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की जनता कम समय तथा कम खर्च में एक जिले से दूसरे जिले में आ-जा सके।

(दो) सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड शीघ्र आबंटित करने के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है। वहां पर आवासीय मकानों की भारी कमी है। इस कारण बहुत से लोगों ने मिल-जुल कर सस्ते में मकान बनाने के लिए हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज का गठन किया है।

पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ प्रशासन ऐसी सोसायटीज को मकान बनाने के लिए प्लाट देता रहा है। इसके बाद प्रशासन ने निर्णय किया कि वह आगे से जमीन प्लाट के लिए नहीं बल्कि सब को फ्लैट बनाने के हिसाब से जमीन एलाट करेगा। इसके बाद कई सोसायटियों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस कर इस निर्णय को चुनौती दी परन्तु उन्हें इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। न्यायालय के निर्णय के बाद चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने इन सोसायटीज को पत्र लिख कर उनसे पहले से जमा कराई गई राशि के अन्तर्गत और धन जमा करवाने के लिए कहा। इस पर इन लोगों ने अधिक धन जमा करवा दिया। लिहाजा अब तक बहुत सारी सोसायटीज ने कुल लागत का लगभग 25 प्रतिशत धन जमा करवा दिया है। इसके बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अभी तक इन लोगों को जमीन का एलाटमैंट करना शुरू नहीं किया है। इस कारण इन लोगों की जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो गई है तथा ये लोग मांग करने लगे हैं कि उन्हें बिना विलम्ब किए तुरन्त मकान बनाने के लिए जमीन एलाट करनी शुरू की जाए। मकान बनाने की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ते रहने के कारण ये लोग मकान बनाने में एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहते। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को यह निर्देश दे कि वह ऐसी हाउसिंग सोसायटीज को तुरन्त मकान बनाने के लिए जमीन एलाट करने का तुरन्त निर्देश देने की कृपा करें।

(तीन) सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार बी॰सी॰सी॰एल॰ को प्रत्येक दिन करीब एक करोड़ का घाटा हो रहा है। इसके कई कारण हैं—कंपनियां में कार्यरत कर्मचारियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध न कराना, अवकाश ग्रहण के पूर्व बकाया राशि का भुगतान न करना, अनुकम्पा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में अनियमितताएं। इन सारी स्थितियों से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में ह्रास हुई है। इसी प्रकार संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से अधिक दिनों तक एक ही स्थान पर तैनात रहने के कारण गलत कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है। विस्थापितों के मामले में प्रबंधन को न्यायालय में जाना पड़ता है। जिसके कारण सरकार का लाखों रुपया बर्बाद होता है। प्रबंधन की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए सारे सुझाव बेकार साबित होते हैं। समस्त सी॰आई॰एल में फिजूल खर्ची बढ़ रही है।

अतः सरकार से आग्रह है कि सी॰सी॰एल॰ एवं बी॰सी॰सी॰एल॰ प्रबंधन में सुधार लाने के लिए संसदीय एवं विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और तत्काल प्रभाव से कंपनी के कर्मचारियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं संवेदनशील पदों पर नियम के विरुद्ध अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से समुचित कराने की व्यवस्था की जाए।

(चार) खरपतवार से प्रभावित फसलों के सर्वेक्षण के लिए उत्तर-प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एक दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां की बहुसंख्यक आबादी कृषि उत्पादों पर निर्भर रहती है।। मैं यहां के कुठौंद क्षेत्र की एक प्रमुख कृषि समस्या पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र की सारी कृषि योग्य भूमि में माह दिसम्बर में फसल के साथ एक पीली कांटेदार खरपतवार पैदा हो जाती है, यह खरपतवार फसल को पैदा नहीं होने देती है तथा किसी अन्य फसल की संभावना को समाप्त कर देती है। क्षेत्र के किसान इस समस्या से बेहद परेशान हैं और लगातार नुकसान सहन कर रहे हैं। कुठौंद के अतिरिक्त माधोगढ़ और रामपुरा क्षेत्रों में भी यह खरपतवार किसानों की फसल को लगातार नुकसान कर रही है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्र से एक सर्वेक्षण टीम भेजकर इस खरपतवार की जांच फरवरी से अप्रैल माह के बीच कराई जाये और इसका निराकरण किया जाये, जिससे क्षेत्र के किसानों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके।

[अनुवाद]

(पांच) सन 2000 तक पूरे देश में सभी को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी (मिरयालगुदा) : केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में उल्लिखित पीने के पानी के महत्त्व और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा लोगों को दिए गए आश्वासन के बावजूद स्थिति बहुत खराब है, जब हम गांवों में जाते हैं वहां देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं देहात में कई मील चलकर पानी लाती हैं। महोदय, मैं आपके द्वारा अनुरोध करता हूं कि इस सरकार को इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सन 2000 तक देश में सभी को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(छह) विदर्भ को तत्काल राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, केन्द्र सरकार लोगों की भावनाओं तथा आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हाल ही में पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत हो गई है लेकिन यह मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता, बसे हुए क्षेत्र के आकार, आधारभूत सुविधाओं और सामान्य अर्थक्षमता इत्यादि के स्वीकृत मानदंडों को ध्यान में रखे बिना राजनैतिक मजबूरी से किया गया है। हालांकि, यह बहुत चिन्ता की बात है कि ऐसा करने में राज्य के पुनर्गठन की सबसे अधिक वैध मांग की सत्तारूढ़ दल द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की गई है जिन्होंने अपने घोषणा-पत्र में विदर्भ को राज्य के रूप में पुनर्गठित करने का वचन दिया था और अब वह लोगों को दिए गए वचन को भूल गए हैं।

वर्ष 1956 में एस॰आर॰सी॰ द्वारा दिए गए राज्य के दर्जे को वापस दिलाने के मुद्दे पर विदर्भ के लोगों के बीच प्रचलित लहर को दबाने की कोशिश करना बहुत आश्चर्यजनक और भ्रामक है। महाराष्ट्र के साथ विलय का अनुभव भी असफल रहा है जैसा कि विकासशील कार्यों के सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यों में बढ़ती हुई कमी से स्पष्ट है। दाण्डेकर समिति ने विदर्भ की बढ़ती हुई आर्थिक कमियों और विकास की प्रक्रिया में विदर्भ की उपेक्षा किए जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है विदर्भ के लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक प्रगति केवल पृथक विदर्भ में ही सम्भव है। विदर्भ को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के मुद्दे की लहर जनता में बढ़ती जा रही है। संसद से नीचे पंचायत समितियों तक जनता के सभी प्रतिनिधियों ने अब तक लोकतंत्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण तरीकें से इस मांग का समर्थन किया है। भा॰जा॰पा॰ सहित सभी राजनीतिक दलों ने विदर्भ को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग का समर्थन किया है।

इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, जनता की इस मांग की उपेक्षा करना गंभीर परिणामों को बढ़ावा देने वाले सभी अन्यायों को बनाए रखने के समान होगा। सरकार को विदर्भ के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान में सवाई माधोपुर के सीमेंट कारखाने का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर (राजस्थान) में सीमेण्ट की फैक्टरी पिछले 10-12 साल से बन्द है, जिस कारण लगभग 15,000 कर्मचारी एवं श्रमिक बेरोजगारी का जीवन-यापन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इसे निजी मालिकों को बेच दिया तथा निजी मालिक ने इस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी तथा इन्हें मिलने वाली सारी सुविधाओं पर गौर न कर उल्टा उन्हें फैक्ट्री के आवास से बाहर कर दिया और बिजली कर दिया और बिजली पानी के कनैक्शन काट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इन कर्मचारियों को अभी तक इनका कोई भी पी॰एफ॰, ग्रैच्युटी का हिसाब नहीं मिला है। बिना वेतन के ये लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इनके बाल-बच्चे आज सड़क पर आ गये हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त फैक्टरी का अधिग्रहण किया जाये और बेरोजगार कर्मचारियों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाये, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

[अनुवाद]

(आठ) कलकत्ता शहर का प्राकृतिक सौन्दर्य बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : 300 साल से भी पहले जॉन कम्पनी के जोबे चारनेक सुतंती गांव में आए थे जिसने कलकत्ता महान शहर को जन्म दिया। सुतंती का नाम इतिहास की प्रस्तावों और पुराने दस्तोवजों के सिवाय कहीं नजर नही आता। लेकिन यह सच है कि यह वर्तमान कलकत्ता उत्तर-पश्चिम क्षेत्र,

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

विशेषतः बागबाजार और निम्ताला बर्निंग घाट के बीच की भौगोलिक सीमाओं के भीतर हुगली नदी के किनारे पर स्थित था। जब ब्रिट्रिश काल के दौरान शहर ने विस्तृत होना प्रारम्भ किया तो यह क्षेत्र कलकत्ता का पत्तन बन गया और बाद में इसका विकास और रख रखाव कलकता पत्तन न्यास द्वारा किया गया। उन्होंने न केवल इसका सिविल रख रखाव किया बल्कि कलकत्ता पतन पुलिस द्वारा वहां पर कानून और व्यवस्था को भी ठीक प्रकार से बनाए रखा गया। जोराबागान अहीरीतोला बेनियातोले, सोवा बाजार कुमार तुल्टी, बांग बजार आदि आस-पास के स्थानों के निवासी न केवल पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते थे बल्कि शान्त स्थान में टहलने का आनन्द उठाने अथवा बैठने और उसे निहारने के लिए भी आते थे। यह इतना सुरक्षित समय था कि यहां इस क्षेत्र में महिलाएं बार-बार आने में डरती तक नहीं थी।

यही वह स्थान था जहां लोग प्रकृति में खुली सांस लेने चिंतन करने और प्रकृति से आत्मसात करने के लिए आते थे। यह वातावरण 25 वर्ष पहले भी था। लेकिन अब वहां ऐसा नहीं है।

कलकत्ता पत्तन न्यास ने नागरिक सुविधाओं की पूर्णतः उपेक्षा की है, पुलिस की तैनाती न के बराबर है। नहाने वाले घाट खतरनाक स्थिति में है और मौत के फंदे बन गए हैं और पूरा क्षेत्र असामाजिक तत्वों और उनकी दुराचारी गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्थल बन गया है। स्ट्रांड बैंक रोड के किनारे बनी रेल की पटरी काफी पहले चुरा ली गई है और हाल ही में सरकुलर रेल प्राधिकरण द्वारा लगाये गए बेरियर या तो तोड़ दिए गए हैं अथवा इन्हें हटा दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता नगर निगम ने नदी के किनारे कूड़ा डालना आरम्भ कर दिया है। वह इतना गन्दा स्थान हो गया है कि यहां भिखारी भी चलने से डरते हैं।

मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त हस्ताक्षेप करे और कलकत्ता के पुराने सौन्दर्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश में हसनगंज और पुरवा में रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलाला गंज) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से है, जिसमें पांच विधान सभा क्षेत्र हैं, तथा दो विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के हैं। हसनगंज और पुरवा दोनों विधान सभा क्षेत्रों में कोई रेलवे लाइन नहीं है। रोडवेज की बसों की सुविधा भी संतोषजनक नहीं है, जिससे लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है। जो दूरी आधे घंटे में तय की जानी चाहिए उसे पूरी करने में 2 घंटे लगते हैं। गरीब आदमी को काफी परेशानी होती है। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि वहां रेल लाइन बिछाई जाये तथा रेलवे स्टेशन बनाया जाए।

[अनुवाद]

(दस) केरल में कोल्लम जिले में दूरदर्शन का कम शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (किंवलोन) : कोल्लम जिले में रहने वाले लोग त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले दूरदर्शन के कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप में नहीं देख पा रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कोल्लम जिले में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने वालों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कोल्लम निर्वाचन-क्षेत्र में किसी स्थान पर कम शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाए।

(ग्यारह) होगनेक्कल पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के॰पी॰ मोहन (धर्मपुरी) : हालांकि होगनेक्कल जलप्रपात धर्मपुरी के नजदीक है फिर भी धर्मपुरी के 14 पंचायत यूनियन क्षेत्र में रहने वाले लगभग 20 लाख लोग पेयजल के लिए भूमिगत जल पर निर्भर रह रहे हैं। इन स्थानों में उपलब्ध भूमिगत जल स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं चूंकि इसमें अत्यधिक हैं में फ्लोराइड पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। अतः धर्मपुरी के इन पंचायत यूनियन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पेयजल समस्या को हल करने के लिए 636 करोड़ रु॰ लागत वाली होगनेक्कल पेयजल योजना केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की सहायता से संयुक्त परियोजना आरम्भ की गई थी जिसमें 85 प्रतिशत की जापानी सहायता मिलनी थी। कथित परियोजना को इस वर्ष मार्च में केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थीं। परियोजना की कुल लागत का शेष 15 प्रतिशत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा अर्थात् 7.5 प्रतिशत वहन किया जाना था। अब पोखरण II परमाणु परीक्षण के पश्चात् जापान द्वारा दी जाने वाली धनराशि उनकी सरकार द्वारा घोषणा करने के पश्चात् नहीं दी जा रही है। इस क्षेत्रों के लोगों को डर है क्या कथित परियोजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्राप्त होने की इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं होगी। हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात् भी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खस्ता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार अनुरोध करता हूं कि कथित परियोजना के लिए तुरन्त धनराशि प्रदान की जाए और जापान से मिलने वाली राशि की प्राप्ति के लिए जापान सरकार के इस मामले पर बातचीत की जाए।

(बारह) भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद सीधे पटसन उत्पादकों, विशेषकर उत्तरी बंगाल के पटसन उत्पादकों से किया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, कच्चा पटसन उत्तरी बंगाल के बाजारों विशेषकर कूचबिहार, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग और पश्चिमी दीनाजपुर में उपलब्ध है। इसका कोई खरीददार नहीं है भारतीय पटसन निगम कच्चा पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहा है। पटसन नकदी फसल है। लगभग 3 करोड़ लोग कच्चा पटसन उत्पादन करने में प्रत्यक्षरूप से लगे हुए हैं। पूरे देश में लगभग 60 लाख कामगार पटसन उद्योग में कार्य कर रहे हैं। हम 1,000 करोड़ रु॰ प्रतिवर्ष की दर से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। लेकिन गरीब कच्चा पटसन उत्पादकों को 250 रु॰ से 300 रु॰ प्रति क्विंटल की दर से डब्ल्यू॰आर॰ 4 अथवा 5 गुणवत्ता के कच्चे पटसन को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर का आधा भी नहीं है।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान बिचौलियो के शिकंजे के इन गरीब कच्चा पटसन उत्पादकों को बचाने के लिए आगे आने के लिए ओर आवश्यक विदेशी और धन भेजने की और दिलाता हूं ताकि अधिकारी केवल उत्पादकों से ही कच्चा पटसन खरीदना आरम्भ कर सके।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे अपना स्थान ग्रहण करे। आप सभी को सहयोग देना होगा। कृपया जाइए और अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अपराह्न 4.06 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

सभापति महोदय : मंत्री जी द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जाना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने दो बार अपनी भावनाएं पहले ही व्यक्त कर दी है।

अपराह्न 4.07 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.08 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कोचीन में इंडियन एयरलाइंस के डोर्नियर विमान की दुर्घटना

नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : मुझे बड़े दुःख के साथ सदन को सूचित करना पड़ा है कि इंडियन एयरलाइंस डोरनियर डीओ-228 विमान वीटी-ई॰जे॰डब्ल्यू॰ कोचीन से तिरूवनन्तपुरम् के बीच उड़ान आईसी 503 पर प्रचालन के दौरान आज 1104 बजे उड़ान भरने के तत्काल बाद कोचीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह बताया गया है कि विमान के उड्डान भरने के तत्काल बाद विमान का अग्रभाग नीचे की ओर झुक गया और नौसेना हैंगर के निकट एक भवन से टकरा गया और उसमें आग लग गई। विमान कैप्टन शिवराज सिंह की कमान में था तथा कैप्टन मनीश शर्मा, सह-विमानचालक तथा श्री साजिद, उड़ान परसर के रूप में उनके साथ थे। इसके अतिरिक्त विमान में निम्नलिखित तीन यात्री भी थे :—

1. श्रीमती विजय कल्याणी कनौजिया
2. श्री सामला राजू
3. श्री ससिकान्त रमानी

अग्निशमन गाड़ियों ने आग बुझा दी और विमान में सवार व्यक्तियों को निकालकर गम्भीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख है कि सभी 6 व्यक्ति अपना जीवन खो बैठे। आगे यह सूचित किया गया है कि उपर्युक्त 6 व्यक्तियों के अलावा 3 व्यक्ति जमीन पर भी मारे गये। कोचीन एक नौसैनिक एयरपोर्ट है जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता है।

महानिदेशक नागर विमानन ने दुर्घटना की जांच के लिए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-71 के अंतर्गत निदेशक (उड़ान सुरक्षा), मुम्बई को दुर्घटना निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की जांच करने के लिए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 74 अंतर्गत जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास

[श्री अनन्त कुमार]

है कि सदन मेरे साथ दुःखी परिवारों के सदस्यों को सांत्वना और सहानुभूति देना चाहेगा।

महानिदेशक और मैं घटना स्थल पर जांच करने के लिए कोचीन जा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 31 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 4.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 1998/9 श्रावण, 1920(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।